

राजस्थान विधान सभा
षष्ठम् सत्र
कार्य-सूची
बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2011
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा पुलिस थाना सुजानगढ़ में दर्ज मुकदमा संख्या 78/10 व पुलिस थाना शाहपुरा (जयपुर) में दर्ज मुकदमा संख्या 383/10 में अविलम्ब कार्यवाही करने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- I- बायतू मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बाबत;
- II- माण्डपुरा बरवाला की अति क्षतिग्रस्त सड़क के 3 किलोमीटर सड़क की मरम्मत करने बाबत; एवं
- III - बायतू मुख्यालय पर रोड़वेज का बस स्टेशन निर्माण करने बाबत ।

(2) श्री पवन दुग्गल, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- I- कच्ची बस्ती घड़साना-रावला को मण्डी विकास समिति, बीकानेर से लेकर ग्राम पंचायत को देने बाबत;
- II- रावला व नाहरावाली को उप-तहसील बनाने बाबत; एवं
- III - घड़साना-नाहरावाली में बालिका विद्यालय क्रमोन्नत व नया खोलने बाबत ।

(3) श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

- I- विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम बाता से रेल्वे स्टेशन बाता के बीच 3 किलोमीटर की सड़क का डामरीकरण करने बाबत; एवं
- II- ग्राम भगवानपुरा, ग्राम पंचायत इन्दरा चारणा एवं रायपुरीया ग्राम पंचायत वणदार में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने बाबत ।

(4) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य विधान सभा, विधान सभा नगर, ग्राम धौलाई, जयपुर के समस्त निवासियों हेतु पत्रकार कॉलोनी में सप्लाई किये जा रहे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से पीने का पानी उपलब्ध कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(5) श्री जगसीराम, सदस्य विधान सभा साम्बरिया, भीलों की ढाणी, गुडा किरीयात व ओड़ा एवं गुडविवदा सोलकियान, कोटकी ढाणी, ग्राम पंचायत कोटसोलकियान के सातों गाँवों में बिजली पहुँचाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(6) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य विधान सभा कनवाड़ा गणेशजी से ग्राम सांखली तक डामर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करवाये जाने हेतु स्वीकृत राशि में बढ़ोतरी किये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

4. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011

(I) श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान पंचायती राज
(संशोधन) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-15)

"राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	46- सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित)
2.	27- पेयजल योजना

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे ।)

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,

जयपुर

दिनांक 15 मार्च, 2011